भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2352
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत देयताएं

2352. श्री राधाकृष्णः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत तेलंगाना , कर्नाटक और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों को देय मजदूरी और सामग्री घटक के लिए लंबित कुल देयताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों को ऐसी लंबित देयताओं के समय पर संवितरण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड राज्य के संबंध में मजदूरी घटक हेतु कोई लंबित देयता नहीं है। दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार मजदूरी घटक के लिए लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार तेलंगाना और झारखंड राज्य सहित सामग्री घटकों के लिए लंबित देयता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध- II में दिया गया है। कर्नाटक राज्य के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामग्री घटक संबंधी कोई लंबित देयता नहीं है।
(ख): महात्मा गांधी नरेगा एक योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर दो खेपों में निधियाँ जारी करता है जिसमें प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किश्त होती है जिन्हें जारी करते समय "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देयताएं, समग्र कार्य निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है तथा यह प्रक्रिया प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती है।

राज्यों को निधियों का नियमित अंतरण तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियों का जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

1. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): सरकार ने निधियों का सुविधाजनक और समय पर अंतरण सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी करने के लिए पीएफएमएस को लागू किया है। यह प्रणाली वास्तविक समय में निधि प्रवाह को ट्रैक करने में मदद करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। इससे देरी कम होती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।
3. निगरानी और समन्वय: निधि प्रवाह की निगरानी और किसी भी मुद्दे का तुरंत समाधान करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा और बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा मज़दूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ठोस प्रयास किए हैं। लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान हेतु समय पर भुगतान प्रक्रिया संबंधी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी , और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को मज़दूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का कार्यान्वयन सभी राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार रद्द लेन-देन को समय पर पुनः सृजित करें तथा अमान्य खातों में सुधार सुनिश्चित करें।

(iii) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को जल्दी , सुरक्षित और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य कर दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करना।

अनुबंध-I

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता (दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार) (रुपये लाख में)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मजदूरी घटक के लिए लंबित देयता**
1	असम	2498.79
2	गुजरात	5573.40
3	मध्य प्रदेश	13748.50
4	मेघालय	8097.34
5	मिजोरम	1101.86
6	नागालैंड	18796.50
7	त्रिपुरा	8992.86
8	पुदुचेरी	105.01
कुल		**58,914.25**

अनुबंध-II

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री घटक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता (दिनांक 04.12.2024 की स्थिति के अनुसार) (रुपये लाख में)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सामग्री घटक के लिए लंबित देयता**
1	बिहार	55247.95
2	हरियाणा	5169.27
3	जम्मू एवं कश्मीर	6354.74
4	झारखंड	4197.09
5	मध्य प्रदेश	13226.51
6	महाराष्ट्र	98488.27
7	मणिपुर	6951.15
8	मेघालय	2682.23
9	राजस्थान	26570.00
10	सिक्किम	411.55
11	तमिलनाडु	25768.14
12	तेलंगाना	21690.04
13	उत्तर प्रदेश	67598.44
14	उत्तराखंड	7090.97
15	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38.27
कुल		**3,41,484.62**